

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 492  
25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

492. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री सुनील कुमार मंडल:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित की जा रही है तथा यदि हां, तो इसके घटकों का ब्यौरा क्या है तथा योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों हेतु निधि में कोई कमी हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सभी सूक्ष्म, लघु और बड़े स्तर की सिंचाई योजनाओं को शामिल कर लिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से जोड़ने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में लागू की जा रही है। पीएमकेएसवाई के घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):** राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चल रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया।
- पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी):** स्रोत में वृद्धि, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, अधिक पानी वाले क्षेत्रों से कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी का बहाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया।

एआईबीपी और एचकेकेपी कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी), भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर) के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि और उपलब्धियां अनुबंध I और II में दी गई हैं।

- iii. **पीएमकेएसवाई-पनधारा विकास डेवलपमेंट (डब्ल्यूडीसी):** शुद्ध खेती वाले क्षेत्र और खेती योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। गतिविधियों में वन क्षेत्र उपचार, नाली उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी बढ़ाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्ति हीन व्यक्तियों के लिए आजीविका, आदि शामिल हैं। जारी की गई राज्यवार निधि और उपलब्धियाँ अनुबंध III और IV में दी गई हैं
- iv. **पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी):** सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। जारी की गई राज्यवार निधि और उपलब्धियाँ अनुबंध V और VI में दी गई हैं।

इसकी स्थापना की शुरुआत से योजना के कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कटौती नहीं की गई है।

**(ड.) एवं (च):** पीएमकेएसवाई के तहत सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई- (एआईबीपी) के तहत निन्यानबे (99) चल रही प्रमुख / मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिनकी, 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अंततः सिंचाई क्षमता है, को राज्यों से परामर्श करके प्राथमिकता दी गई हैं, जिसमें कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्य (सीएडीडब्ल्यूएम) के साथ-साथ दिसंबर 2019 तक चरणों में पूरा करना है। इन 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 34 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्यों को पूरा/ लगभग पूरा होने की सूचना दी गई है। 31.03.2018 को इन 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 54.45 लाख हेक्टेयर की संचयी सिंचाई क्षमता बनाई गई है।

**(छ.)** सिंचाई सुविधाओं के तहत अधिक क्षेत्र लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

- 2018-19 के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य अत्यधिक सूखा क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।
- दक्षिण-पश्चिम पंजाब में मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में जल-जमाव की समस्या से निपटने में मदद करने के लिए राजस्थान-फीडर और सरहिंद फीडर परियोजना को पुनः चालू करना।
- पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय परियोजना) को 06.12.2018 को मंजूरी दी गई है
- पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना (पीआईपी): आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जिसे एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।

एआईबीपी, एसएमआई, आरआरआर और सीएडी योजनाओं के तहत राज्यवार सीए रिलीजों का विवरण

करोड़ रूपए में

राज्य	एआईबीपी		एसएमआई		आरआरआर		सीएडी	
	2015-16	2016-19	2015-16	2016-19	2015-16	2016-19	2015-16	2016-19
आंध्र प्रदेश	0.00	22.63	0.00	0	0.00	2.70	0	69.18
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	37.22	53.0269	0.00	0.00	8.31	0
असम	107.92	0.00	139.41	891.9756	0.00	0.00	24.319	3.55
बिहार	41.51	84.14	6.36	32.2757	0.00	6.26	7.752	35.823
छत्तीसगढ़	0.00	30.54	32.77	0	0.00	0.00	0	21.71
गोवा	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
गुजरात	128.00	3419.65	0.00	0	0.00	8.81	354.718	1719.155
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	77.389	0
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	116.6	0.00	0.00	1.674	0
जम्मू एवं कश्मीर	34.31	26.49	84.03	136.1887	0.00	0.00	27.673	1.7
झारखंड	281.62	756.73	0.00	0	0.00	0.00	0	0
कर्नाटक	208.16	791.98	0.00	0	0.00	0.00	61.095	60.15
केरल	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.925	0
मध्य प्रदेश	188.21	562.41	0.00	0	0.00	0.00	104.309	251.441
महाराष्ट्र	307.81	1270.42	0.00	0	0.00	0.00	4.781	73.79
मणिपुर	142.38	174.34	40.00	42.2264	0.00	0.00	27.919	0
मेघालय	0.00	0.00	72.99	75.9361	0.00	2.66	0	0
मिजोरम	0.00	0.00	1.98	8.2513	0.00	0.00	0	0
नागालैंड	0.00	0.00	61.45	63.075	0.00	0.00	0	0
ओडिशा	173.80	1041.83	0.00	0	54.75	3.00	57.951	97.494
पंजाब	1.05	52.42	0.00	0	0.00	0.00	155.921	0
राजस्थान	45.51	357.91	0.00	0	35.93	14.30	113.22	9.909
सिक्किम	0.00	0.00	4.34	25.61	0.00	0.00	0	0
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0	9.22	7.03	29.271	0
तेलंगाना	112.50	560.67	0.00	0	44.88	59.68	0	36.34
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
उत्तर प्रदेश	555.04	598.39	0.00	0	16.41	0.00	76.934	0
उत्तराखंड	0.00	0.00	121.37	93.4	0.00	0.00	0	0
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.552	0
<b>कुल</b>	<b>2327.82</b>	<b>9750.56</b>	<b>601.92</b>	<b>1538.57</b>	<b>161.18</b>	<b>104.44</b>	<b>1142.71</b>	<b>2380.24</b>

सीएडी: कमांड एरिया डेवलपमेंट; आरआरआर: वॉटर बॉडीज की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर)

एसएमआई: भूतल लघु सिंचाई

एआईबीपी और एचकेपीपी घटकों के तहत सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता का विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	एआईबीपी ( सृजित सिंचाई क्षमता)		सीएडी (कवर किया गया सीसीए)		एसएमआई (सृजित सिंचाई क्षमता)		आरआरआर ( सृजित सिंचाई क्षमता)	
		2015-16	2016-19*	2015-16	2016-19*	2015-16	2016-19*	2015-16	2016-19*
1	आंध्र प्रदेश	29.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00	0.00	2.80	2.51		
3	असम	0.00	29.45	0.00	14.25	44.00	64.94		
4	बिहार	0.00	10.91	0.00	11.74	13.20	23.80	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1.11	16.62	2.88	0.00	17.10	23.90	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.23	0.00	0.77		0.00		
7	गुजरात	185.91	527.31	258.82	935.56		0.00	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.00		
9	हरियाणा	0.00		58.75	0.00		0.00		
10	जम्मू और कश्मीर	1.00	0.00	5.04	1.28	7.20	7.30		
11	झारखंड	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00	1.08		
12	कर्नाटक	88.41	109.59	0.00	30.93	11.90	0.00		
13	केरल	0.47	1.11	0.00	0.00		0.00		
14	मध्य प्रदेश	52.00	146.01	15.81	210.04	5.60	32.00	14.00	0.00
15	महाराष्ट्र	24.26	172.20	0.76	57.88	1.90	0.00		
16	मणिपुर	2.00	8.47	0.00	5.03	6.00	1.80	0.00	0.00
17	मेघालय		0.00	0.00		0.70	5.38	0.00	0.90
18	मिजोरम		0.00	0.00		0.00	0.00		
19	नागालैंड		0.00	0.00		2.90	2.02		
20	सिक्किम		0.00	0.00		0.00	3.85		
21	त्रिपुरा		0.00	0.00		0.00	0.00		
22	उत्तराखंड		0.00	0.00		6.40	8.12		
23	पश्चिम बंगाल		0.00	0.00		0.00	0.00		
24	ओडिशा	7.26	36.13	72.66	55.17	0.00	0.00	22.00	21.00
25	पंजाब	2.89	0.00	82.05	0.00				
26	राजस्थान	6.28	7.17	46.22	21.17			0.24	9.92
27	तेलंगाना	69.22	113.96	0.00	0.00			0.00	8.23
28	तमिलनाडु		0.00	5.14	0.00			0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	63.78	495.73	23.41	0.00			0.00	0.00
	कुल	533.70	1754.08	571.54	1343.81	121.30	178.70	36.24	40.05

\* अनंतिम

सीसीए: कल्चरल कमान एरिया

## पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत जारी केंद्रीय सहायता

करोड़ रूपए में

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति				आबंटन
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	86.73	120.96	123.35	139.15	158.4
2	बिहार	5	28.26	19.21	46.77	29.32
3	छत्तीसगढ़	20	34.96	33.45	57.03	37.45
4	गोवा	0	0	0	0.00	
5	गुजरात	100	115.04	87.51	151.84	114.59
6	हरियाणा	6.91	12.82	10.94	10.00	30.47
7	हिमाचल प्रदेश	20	35.4	26.83	24.04	29.75
8	झारखंड	20	17.68	0	28.83	61.29
9	जम्मू और कश्मीर	0	25.59	43.66	71.87	92.99
10	कर्नाटक	125	145.72	175.69	101.07	36.37
11	केरल	20	16.62	17.83	13.06	32.83
12	मध्य प्रदेश	150	129.44	134.84	162.41	194.28
13	महाराष्ट्र	250	186.95	279.21	163.33	308.21
14	ओडिशा	67.5	91.99	94.48	102.17	83.11
15	पंजाब	7.95	0	7.96	0.00	0
16	राजस्थान	200	199.35	243.59	299.00	330.45
17	तमिलनाडु	75	62.36	82.75	90.59	31.6
18	तेलंगाना	70	0	51.14	81.93	99.76
19	उत्तराखंड	25.68	16.16	9.97	6.98	13.16
20	उत्तर प्रदेश	75	58.38	63.93	0.00	0
21	पश्चिम बंगाल	10	24.06	15.48	46.39	47.34
22	अरुणाचल प्रदेश	18	23.12	9.62	19.17	35.31
23	असम	45	0	65.09	66.55	67.24
24	मणिपुर	9	11.29	13.84	14.14	5.82
25	मेघालय	18	11.56	8.95	6.69	0
26	मिजोरम	8.87	16.06	22.35	23.14	
27	नगालैंड	27	60.84	32.08	38.51	66.42
28	सिक्किम	6.3	0	1.4	0.00	0
29	त्रिपुरा	20.89	27.12	16.66	15.89	31.8
30	एक और एन द्वीप	0	0	0		
31	पुडुचेरी	0	0	0		
	<b>सकल योग</b>	<b>1487.83</b>	<b>1471.73</b>	<b>1691.81</b>	<b>1780.55</b>	<b>1937.96</b>

2014-15 से 2018-19 के दौरान सृजित/पुनरूद्धार किए गए जल संचयन ढांचे, संरचित सिंचाई के अंतर्गत लाया अतिरिक्त क्षेत्र और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत लाभान्वित किसानों का राज्य वार ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	सृजित/पुनरूद्धार किए गए डब्ल्यूएचएस (सं. में)	सिंचाई के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश **	186532	269699.00
2	अरुणाचल प्रदेश	564	2986.00
3	असम	6152	101008.14
4	बिहार	3818	18011.50
5	छत्तीसगढ़	7069	19893.77
6	गुजरात	18480	43776.74
7	हरियाणा	2892	41245.00
8	हिमाचल प्रदेश	8836	11524.89
9	जम्मू और कश्मीर	3438	13731.40
10	झारखंड	3134	3001.10
11	कर्नाटक	28132	67444.00
12	केरल	17725	23185.13
13	मध्य प्रदेश	24851	109621.30
14	महाराष्ट्र	10043	89587.52
15	मणिपुर	10264	3064.51
16	मेघालय	2335	3906.66
17	मिजोरम	7531	49605.97
18	नागालैंड	2465	2553.00
19	ओडिशा	20974	44008.80
20	पंजाब	316	6868.00
21	राजस्थान	99309	58206.00
22	सिक्किम	169	32.75
23	तमिलनाडु	49971	133666.59
24	तेलंगाना	19353	38819.00
25	त्रिपुरा	2383	5571.43
26	उत्तर प्रदेश	22696	109480.00
27	उत्तराखंड	16962	2241.77
28	पश्चिम बंगाल	10686	11940.41
	<b>कुल</b>	<b>587080</b>	<b>1284680.38</b>

टिप्पण: राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

\*\* मनरेगा सहित

## पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल के तहत जारी केंद्रीय सहायता

करोड़ रूपए में

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति				आबंटन*
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	206.47	308.69	517.10	520.00	420.00
2	बिहार	28.60	21.60	12.50	27.91	53.00
3	छत्तीसगढ़	20.30	44.80	55.00	43.39	78.00
4	गोवा	0.30	0.80	0.00	1.20	3.00
5	गुजरात	213.05	274.00	300.00	272.50	300.00
6	हरियाणा	34.97	27.00	14.01	27.41	28.00
7	हिमाचल प्रदेश	7.60	8.50	19.25	26.00	30.00
8	झारखंड	14.97	30.70	25.00	10.00	45.00
9	जम्मू और कश्मीर	4.87	5.40	3.00	7.80	15.00
10	कर्नाटक	213.12	229.00	385.00	372.03	320.00
11	केरल	8.53	0.00	25.00	4.00	15.00
12	मध्य प्रदेश	161.74	121.10	150.00	132.56	170.00
13	महाराष्ट्र	107.26	305.70	362.50	360.00	290.00
14	ओडिशा	28.70	39.70	48.00	58.00	50.00
15	पंजाब	43.00	1.18	0.00	9.00	15.00
16	राजस्थान	142.84	129.00	107.50	168.48	125.00
17	तमिलनाडु	129.78	143.50	369.55	355.00	340.00
18	तेलंगाना	111.32	189.00	257.00	122.00	200.00
19	उत्तराखंड	9.60	15.00	27.20	43.00	32.00
20	उत्तर प्रदेश	37.51	41.40	55.00	87.88	100.00
21	पश्चिम बंगाल	4.80	19.90	31.00	40.00	45.00
22	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.00	8.30	12.50	30.00
23	असम	5.03	11.00	3.00	30.00	70.00
24	मणिपुर	2.76	3.60	7.50	40.00	44.00
25	मेघालय	1.43	0.00	3.30	12.00	25.00
26	मिजोरम	3.27	8.10	12.30	27.80	45.00
27	नागालैंड	2.34	4.50	11.80	35.00	53.00
28	सिक्किम	4.86	5.40	4.00	55.19	53.00
29	त्रिपुरा	1.55	0.00	3.75	15.00	30.00
30	एक और एन द्वीप	0.20	0.00	0.50	0.00	1.50
31	पुडुचेरी	2.03	0.00	0.00	0.00	1.50
	<b>सकल योग</b>	<b>1555.40</b>	<b>1990.57</b>	<b>2818.06</b>	<b>2915.65</b>	<b>3027.00</b>

2019-20 के लिए, 3500.00 करोड़ रूपए की राशि का आबंटन (बीई) किया गया है।

## सूक्ष्म सिंचाई-पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र. सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	94104	141098	186441	200269	621912
2	बिहार	5155	4228	3143	924	13450
3	छत्तीसगढ़	8056	19227	13087	18929	59299
4	गोवा	92	123	236	0	451
5	गुजरात	142681	165948	143134	140778	592541
6	हरियाणा	3117	5701	10751	10469	30038
7	हिमाचल प्रदेश	3306	937	1197	422	5862
8	झारखंड	4528	5810	1544	3978	15860
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	64220	139405	236107	234853	674585
11	केरल	561	310	358	965	2194
12	मध्य प्रदेश	75224	54323	39761	35195	204503
13	महाराष्ट्र	35242	106172	132829	159959	434202
14	ओडिशा	2907	4611	3036	10081	20635
15	पंजाब	1799	1950	600	507	4856
16	राजस्थान	56346	47650	48205	53982	206183
17	तमिलनाडु	32288	44778	105695	172445	355206
18	तेलंगाना	39864	61980	89474	40381	231699
19	उत्तराखंड	721	3199	2182	4256.41	10358
20	उत्तर प्रदेश	1598	32511	28235	55086	117430
21	पश्चिम बंगाल	0	0	2137	13370	15507
22	अरुण प्रदेश	0	0	0	0	0
23	असम	0	0	782	70	852
24	मणिपुर	0	0	0	1600	1600
25	मेघालय	0	0	0	0	0
26	मिजोरम	398	0	0	0	398
27	नागालैंड	0	0	0	0	0
28	सिक्किम	773	0	0	0	773
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
	<b>सकल योग</b>	<b>572980</b>	<b>839961</b>	<b>1048934</b>	<b>1158519</b>	<b>3620394</b>

\*\*\*\*